कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस आगरा परिक्षेत्र, आगरा।

पत्र संख्या:2016/22124/एएलएच/अलीगढ/310/डीडी/13 दिनांक:जून, 28 ,2016

सेवा में,

जिला पूर्ति अधिकारी,
जनपद अलीगढ़।

विषय:–खसरा नम्बर–141–ए, ग्राम ल्हौसरा बिसावन, तहसील कोल, जनपद अलीगढ पर प्रस्तावित एस्सार ऑयल लि, के नवीन आउटलेट (फिलिंग स्टेशन) स्थापित किये जाने हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:–आपका पत्रांक:688/जि0पू0अ0/एन0ओ0सी0/16 दिनांक:27.05.2016

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत प्रस्तावित पेट्रोल पम्प की प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत स्थल का स्थलीय निरीक्षण अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा सुसंगत मानकों के अनुसार किया गया, उनकी संस्तुति आख्या दिनांक:21.06.2016 एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अलीगढ़ की परिशीलन संस्तुति आख्या दिनांक:24.06.2016 का परिशीलन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया तो निम्न विवरण पाया गया:–

1–भवन की संरचना:–

1–कुल भूखण्ड एरिया–1225.00 वर्ग मीटर।

2–ग्राउण्ड फ्लोर कवर्ड एरिया–32.51 वर्ग मीटर।

4–भवन की ऊँचाई:–05.50 मीटर।

2–भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी–प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की हैजार्ड श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था–

1–पहुँच मार्ग–भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 25.00 मीटर रोड की चौडाई है।

2–प्रवेश/निकास द्वार–दो प्रवेश/निकास द्वारा जिनकी चौडाई 11.50 मीटर जो मानक के अनुसार है।

प्रस्तावित व्यवसायिक स्थल के मानचित्रों में डिस्पेन्सिंग मशीन के चारों ओर मोटेरेवुल सेटबैट अग्रभाग–06 00 मीटर, पृष्ठभाग, 06.00 मीटर, तथा पार्श्व प्रथम–07.29 मीटर व पार्श्व द्वितीय–14.77 मीटर दर्शाया गया है।

उपरोक्तानुसार भवन के सेटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है। सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेगें। सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था:–प्रस्तावित व्यवसायिक स्थल हेतु निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं प्रस्तावित की जाती है, जो पूर्ण की जानी अनिवार्य होगी।

- ड्राई पाउडर टाइप एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 केजी – 02 अदद (प्रति डिस्पेसिंग मशीन)
- सी0ओ0टू0एक्सटिंग्यूशर क्षमता 4.5 किग्रा. – 02 अदद
- एएफएफएफ एक्सटिंग्यूशर क्षमता 50 किग्रा – 01 अदद
- पानी/रेंत से भरी बाल्टियॉ(गोल पैदे वाली) – 6–6 अदद
- बालू का ढेर – 100 घन फुट
- बेल्चा/फावडा – 1–1 अदद
- वाटरजेल ब्लैकिट – 01 अदद
- धूम्र पान निषेध बोर्ड – आवश्यकतानुसार
- आपातकालीन सेवाओं के टेलीफोन नम्बरों की सूची।

क्रमशः पेज नं0 02

अन्य सुझाव/निर्देशः–

1. विद्युत तथा अन्य उपकरणों के तार धातु की पाइप "जो स्पार्क प्रूफ हो" से होकर गुजारे जाएगें। इसमें निरीक्षण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। बिजली के तारों के साथ ई.एल.सी.बी.(अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर) की व्यवस्था की जाएगी।
2. स्थल पर निकास लाइटनिंग/वेन्टीलेशन की व्यवस्थाऐ एन.बी.सी. के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।
3. पैट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण तथा अन्य उपकरणों जहां अर्थिंग की व्यवस्था की आवश्यकता हो तो पैट्रोलियम रूल्स 2002 के अनुरूप होनी चाहिए।
4. बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन एवं कन्ज्यूमर यूनिट में एम.सी.बी.(मेनियेचर सर्किट ब्रेकर) आईएस– 8828 के अनुरूप होनी चाहिए।
5. पैट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण के समस्त निर्माण कार्य व उपकरण पैट्रोलियम रूल्स के मानको के अनुरूप होने चाहिए।
6. कोई भी ऐसा पदार्थ या प्रकिया जो आग या स्पार्क पैदा करता हो का भण्डारण स्थल पर ले जाना सर्वथा वर्जित होगा।
7. ओवरहैड इलैक्ट्रिक लाइन प्रस्तावित स्थल के ऊपर से होकर नही गुजरनी चाहिए।
8. ओवरहैड इलैक्ट्रिक लाइन तथा प्रस्तावित स्थल के बीच की दूरी इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी रूल्स एवं रेग्यूलेशन के अनुरूप होनी चाहिऐ।
9. भण्डारण प्रांगण में कार्यरत समस्त स्टाफ को पैट्रोलियम पदार्थ की प्रक्रियाओं एवं उनके गुण दोषों के साथ अग्निशमन के उपकरणों के रख रखाव एवं उनके संचालन की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए ।
10. भण्डारण प्रांगण की सफाई/हाउस कीपिंग उच्चकोटि की होंनी चाहिए साथ ही स्थल पर अन्य किसी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण सर्वथा वर्जित होगा ।
11. मानचित्र में दर्शाये गये समस्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
12. सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज स्थापित किया जाना अनिवार्य है।
13. पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्राविधानित की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार खसरा नम्बर–141–ए, ग्राम ल्हौसरा बिसावन, तहसील कोल, जनपद अलीगढ पर प्रस्तावित एस्सार ऑयल लि0, के नवीन आउटलेट (फिलिंग स्टेशन) स्थापित किये जाने हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र उक्त शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी प्रस्तावित प्राविधान विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार तथा पेट्रोलियम एक्ट–1934 व पेट्रोलियम नियम–2002 तथा O.I.S.D.–225 में उल्लिखित नियमों का कडाई से पालन किये जाने की शर्त पर कराये जायेंगे, तथा भवन के निर्माणोपरान्त एवं भवन का प्रयोग करने से पहले व्यवसायिक स्थल पर अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा, अन्यथा निर्गत किया जा रहा फिलिंग स्टेशन आउटलेट हेतु प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र।

28-6-16

(रामसनेही)
उपनिदेशक, फायर सर्विस,
आगरा परिक्षेत्र, आगरा।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1–मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अलीगढ़।

2–अग्निशमन अधिकारी, अलीगढ़।

3–स्वामी/प्रबन्धक, एस्सार ऑयल लि0, ग्राम ल्हौसरा बिसावन, तहसील कोल, जनपद अलीगढ ।